प्रकरण संख्या : 68/2025
कोमल वगै. बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 10.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी : संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या : 68/2025
दायर दिनांक : 28.07.2025
निर्णय दिनांक : 10.10.2025

1. कोमल पत्नी भरतलाल जाति मीना, निवासी रानीवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. लाली पत्नी मोहनलाल जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. केदार प्रसाद पुत्र श्रीचन्द्र जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
3. दुर्गालाल पुत्र महादेव जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
4. बिरमा देवी पुत्री श्रीचन्द जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
5. भागीरथ पुत्र महादेव जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
6. मौहरा देवी पुत्री श्रीचन्द जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
7. सरिता देवी पुत्री श्रीचन्द जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
8. हंसा देवी पुत्री श्रीचन्द जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
9. काली पत्नी रामसहाय जाति मीना, निवासी हरिपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरिपुरा में आराजी खसरा नम्बर 759/88 रकबा 0.06 है॰, खसरा नम्बर 761/89 रकबा 0.19 है॰ कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 है॰ स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात के पास में ही अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है, जो आये दिन बिना वजह सीमा–विवाद उत्पन्न करते हैं। प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात का दिनांक 28.05.2025 को सीमाज्ञान भी करा लिया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार दौसा को आदेश फरमावें कि वे ग्राम हरिपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 759/88 रकबा 0.06 है॰, खसरा नम्बर 761/89 रकबा 0.19 है॰ कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 है॰ भूमि की पुलिस सहायता से राजस्व कर्मचारियों की टीम घटित कर भूमि की वास्तविक पैमाइश कर भूमि के चारों तरफ पत्थर गाढ़कर पत्थरगढी के निशानात कायम करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 के विरुद्ध बाजवूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी का

सीमाज्ञान पूर्व में कराया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार दौसा के जवाब से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान कराया जा चुका है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम हरिपुरा तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 759/88 व 761/89 कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

10/10/2025

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)